कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश
https://govaccmh.ac.in/ ई.मेल आईडी – hegaccbho@mp.gov.in दूरभाष कमांक 0755–2555326

अनुबंध

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

MPBOU

राजा भोज मार्ग चूनाभट्टी, भोपाल, (म. प्र.)

महाविद्यालय से अनुबंध किये जाने हेतु पंजीयन प्रपत्र

1.	महाविद्यालय का नाम	शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महा० वि० भोपाल
2.	महाविद्यालय का पता	मालवीय छात्रावास भवन जहांगीराबाद भोपाल
3.	प्राचार्य का नाम	डॉ० कल्पना झा
	मोबाईल नं.	9893720665
4.	प्रभारी अधिकारी का नाम	डॉ० राजीव चौबे
	मोबाईल नं.	9425607850
5.	महाविद्यालय का संपर्क सूत्र फोन नं.	0755 - 2555326
	फैक्स नं.	
	ईमेल	hegaccbho@mp.gov.in
6.	महाविद्यालय का खाता विवरण बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जवाहर चौक भोपाल
	खाता क्रमांक	63000795270
	आई.एफ.सी. कोड	SBIN0030387
7.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम (आवश्यक हो तो सूची संलग्न करें)	B.Com Plain, Tax, T&T C.A B.C.A, B.B.A, B.A M.A english

Kilha 1/01/2022

प्राचार्य

हस्ताक्षर, पद, मुद्रा सहित

शा.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
मालवीय छात्रावास भवन, भोपाल

"अनुबंधपत्र"

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा (viii) (ix) के प्रावधान के अन्तर्गत परिनियम 11 के परिपालन में यह अनुबंध पत्र मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्र......भोपाल........ के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारंम्भ करने के लिये दोनों पक्षों के मध्य किया जा रहाहै।

प्रथम पक्षः मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

द्वितीय पक्षः शासकीय (परिशिष्ट 01 के अनुसार)/अशासकीय महाविद्यालय (प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत)

अनुबंध की शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। प्राचार्य के त्यागपत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा केन्द्राध्यक्ष के रूप में मान्य करने हेतु मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर अपने सहयोग के लिये एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकता है। जो महाविद्यालय में पदस्थ कोई वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर का हो।

2. अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिये, अध्ययन केन्द्र, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर निम्नलिखित उन सभी कार्यो को संपादित करेगा जो मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आवश्यकता एवं परिस्थिति वश संसूचित किये जायेगें।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया कर प्रवेश फार्म की प्रथम एवं द्वितीय प्रति सम्पूर्ण अभिलेखो सहित क्रमशः क्षेत्रीय केन्द्र और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये प्रवेश फार्म की तृतीय प्रति को अपने अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण अभिलेख सहित सुरक्षित रखेगें।

(2) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना की सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई। यदि नही हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध न हो।

(3) शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के 13 सैद्धांतिक कालखण्डों की तथा जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हो उनकी भी 13 कालखण्डों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाऐं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60/61 के अनुसार लगाने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा। साथ ही इसकी सूचना विश्वविद्यालय सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(4) प्रवेशित विद्यार्थियों से सत्रीय उत्तरपुस्तिकाऐं निर्धारित समय सीमा में जमा करा कर क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं तथा सत्रांत परीक्षा के दौरान पूर्ण स्वच्छ, हवा प्रकाश, जल, शौचालय (छात्र–छात्रायें का अलग अलग) एवं अन्य मूलभूत सुविधाऐं जो अध्ययन केन्द्र के लिये आवश्यक हो तो उपलब्ध कराने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(6) अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे समन्वयक, शिक्षकों, एक लिपिक आदि सभी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।

(7) अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा।

(8) अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसंरचना फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि में जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्षः विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी।

(9) महाविद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अकाउण्ट में स्थानांतरित की जायेगी इस राशि में सम्पर्क कक्षायें तथा परीक्षा संचालन शामिल है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(10) जिन महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित/स्थापित किये जा रहें है उनकी सूची परिशिष्ट 01 में संलग्न है।

(11) किन्तु यह भी कि किसी महाविद्यालय केन्द्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कम संख्या में होता है। ऐसी स्थिति में सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षा संचालन के व्यय की राशि तथा शुल्क अशंदान की अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जावेगी।

(12) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों के लिये उचित अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा।

(13) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उदेश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय–समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश/शर्ते जारी किये जाऐगें, उनका पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

(14) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखो एंव परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रहेगाः–

1. अध्ययन केन्द्र मान्यता प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा हो।
2. अध्ययन केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।

3. अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई ऐसी राशि ली जा रही हो जो अनुबंध की शर्तों में विहित प्रावधानों के विपरीत हो।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पर्क कक्षाओं का संचालन नहीं किया गया तो मान्यता निरस्त।
5. सत्रीय कार्य तथा संत्रात परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थीयों के लिये प्रदत्त अध्ययन सामग्री का नियमानुसार विद्यार्थियों में वितरण नहीं किया जा रहा हो।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा लेखा का संधारण विश्वविद्यालय नियमानुसार नहीं किया जा रहा हो।
9. ऐसी निजी संस्था जो समिति द्वारा संचालित है द्वारा अपनी मूल समिति को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अन्य समिति में विलय कर देती है।
10. बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अध्ययन केन्द्र का स्थान परिवर्तन किये जाने पर।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय यदि किसी बिन्दु पर असंतुष्ट है तो मान्यता रद् कर सकता है किन्तु ऐसे किये जाने के पूर्व संबंधित संस्था को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. इस अनुबंध की तीन मूल प्रतियॉ हस्ताक्षर की जा रही है। जिसकी एक प्रति कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल को दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार......शासकीय नवीन एवं वाणिज्य महा०, भोपाल......को एवं तृतीय प्रति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र......भोपाल......के अधिपत्य में संधारित की जा रही है जो कि समयानुसार कार्यवाही में उपयोग की जा सकेगी।
4. इस अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठों पर दोनो पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे है एवं किसी पृष्ठ में कोई काट–छाट नहीं है।
5. अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष/उपकेन्द्राध्यक्ष व अन्य नियुक्तियों को दिये जाने वाले मानदेय एंव अन्य संबंधित विषयों के निर्णय हेतु परीनियम 11 में दर्शायी गयी समिति अधिकृत होगी।

यह अनुबंध आज दिनांक 18.08.2020 को दोनो पक्षो की सहमति में पूर्ण होशोहवास में एवं गवाहो की उपस्थिति में किया जा रहा है एवं उक्त शर्तो को दोनो पक्षो द्वारा मान्य किया जा रहा है।

कुलसचिव
मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,
भोपाल

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
(... एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल)

गवाह

1. डॉ० अंजली सिंह
2. डॉ. शैलेन्द्र कौशिक

गवाह

(डॉ० राजीव चौबे)

1. ......
2. ...... (सीता...)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य(नवीन) महाविद्यालय
भोपाल

क्रमांक 624 /स्था/2022 भोपाल दिनांक 14 / 11 /2022

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय.एम.बी.एम. महाविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– आपके महाविद्यालय के खेल मैदान को इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराने के संबंध में अनुबंध (एम.ओ.यू.) का निष्पादन करने बाबत्।

संदर्भः– *इस महाविद्यालय का पत्र कमांक 594/स्था/2022 भोपाल दिनांक 12.11.2022*

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि भारत वर्ष मे जिस प्रकार राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कीड़ा से संबंधित पदकों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके अंतर्गत मुख्यतः विद्यार्थियों के शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने व खेलकूद में उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में शासकीय कला एवं वाण्ज्यि (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल प्रयासरत् है। दोनों संस्थाओं के साथ अनुबंध (एम.ओ.यू) से विद्यार्थियों को लाभ मिल सके ।

कृपया अनुबध की शर्तें इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि हस्ताक्षर प्रदान कर अनुबंध (एम.ओ.यू.) का कार्य निष्पादन करने का कष्ट करें।

14.11.22
डॉ.अर्पणा कडू
क्रीड़ा प्रभारी

14.11.22
(डॉ मुकेश दीक्षित)
प्राचार्य
शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन)
महाविद्यालय, भोपाल

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य(नवीन) महाविद्यालय भोपाल

क्रमांक /स्था/2022 भोपाल दिनांक / /2022

//Memorandum of understanding//

यह अनुबंध (एम.ओ.यू.) शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल के क्रीड़ा विभाग एवं शासकीय.एम.बी.एम. महाविद्यालय, भोपाल के क्रीड़ा विभाग के मध्य दोनो महाविद्यालयों के प्राचार्यों की आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जा रहा है:–

1. इसके तहत दोनो पक्ष किसी तरह के वित्तीय एवं अन्य गवाहो से स्वतंत्र रहेगें। किसी भी तरह का कोई आर्थिक एवं भौतिक लेन–देन नहीं होगा।
2. यह एम.ओ.यू. केवल विद्यार्थियों के खेलकूद एवं भविष्य मे रोजगार प्राप्त करने एवं उनके ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये किया जा रहा है।
3. दोनों पक्ष अपनी खेलकूद संबंधी अधोसंरचना को बिना किसी वित्तीय भार के साझा करने की सहमति है।
4. खेल मैदान एवं अधोसंरचना का दोनों पक्षो के खिलाड़ी खाली समय मे ही उपयोग कर सकेंगें।
5. दोनों पक्षों की समय–सारणी अनुसार ही खेल मैदान का उपयोग कर सकेगें ।
6. खेल के दौरान Individual खेल एवं टीम गेम में होने वाले Equipments जैसे Table tennis , Ball Badminaton, Racket/ shuttle cock , Volley Ball , Hand Ball , Cricket Ball आदि का वहन खिलाड़ियों द्वारा स्वंय किया जाएगा।
7. खेल के मैदान एवं खेल खेलते समय खिलाड़ियों को अनुशासन का ध्यान रखते हुये नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा । अनुशासनहीनता होने पर खिलाड़ी को मैदान व संस्था से बाहर किया जा सकता है। जिसका एकाधिकार दोनों पक्षों के संस्था प्रमुख को होगा।
8. दोनों पक्षों के खिलाड़ी क्रीडा अधिकारी, प्रशिक्षक एवं अयोजकों के साथ समन्वय बना कर कार्य करेंगें एवं उनका निर्णय सर्वोपरी रहेगा।
9. दोनों पक्षों के खिलाड़ी नियमानुसार निर्धारित खेल गणवेश में ही मैदान का उपयोग कर सकेंगें।

14.11.22

प्राचार्य

14.11.22 14.XI.2022

प्राचार्य

भविष्य में दोनों इकाईयों द्वारा प्रशिक्षण एवं Entry Fees में होने वाला व्यय शासन के नियमानुसार वहन किया जाएगा।

11. खेल के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्घटना घटित होती है तो उसका दायित्व खिलाड़ियों का स्वंय का होगा एवं इसकी जबावदेही किसी भी पक्ष (अनुबंधकर्ता) की नहीं होगी।

12. शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल में स्थापित ओपन जिम का दोनो महाविद्यालय के विद्यार्थी उपयोग कर सके ।

भोपाल दिनांक :– 14.11.2022

(डॉ. राकेश सिंह) 15.11.2022
प्राचार्य
शासकीय एम.बी.एम. महाविद्यालय, भोपाल

प्राचार्य
शा. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय
भोपाल

(डॉ. मुकेश दीक्षित) 15.11.22
प्राचार्य
शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन)
महाविद्यालय, भोपाल